

[नियम 16गग और नियम 17ख देखिए]

किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) या किसी न्यास या संस्था, जिसे धारा 12क के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

*मैंने/हमने [निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान का नाम] के तुलन पत्र की के रूप में परीक्षा कर ली है और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाता उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखे गए खाते बहियों के अनुरूप है।

*मैंने/हमने *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

*मेरी/हमारी राय में, उपाबंध की पंक्ति 11 में उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में खाता बहियों का उचित रखरखाव किया गया है:

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपाबंध में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं, जो निम्नलिखित टिप्पणियों या विशेषताओं के अधीन हैं, यदि कोई हो-

(क)

(ख).....

(ग)

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त खाते निम्नलिखित मामलों में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं-

(i) तुलन पत्र के मामले में, ऊपर नामित * निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामलों की स्थिति _____ को; और

(ii) आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाते के मामले में, को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में उसकी आय और उपयोजन /लाभ या हानि।

निम्नलिखित टिप्पणियों/योग्यताओं के अधीन-

(क)

(ख)

(ग)

विहित विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षरित लेखाकार †

नाम

सदस्यता संख्या

पता

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. † यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत - एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है।

3. जहां इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले का नकारात्मक या विशेषता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

उपाबंध विशिष्टियों का कथन												
मूल विवरण	1.	लेखापरीक्षिती का पीएएन	A B C D E 1 2 3 4 F									
	2.	लेखापरीक्षिती का नाम										
	3.	निर्धारण वर्ष										
	4.	पूर्व वर्ष	d d m m y y y y से d d m m y y y y									
	5.	लेखापरीक्षिती का रजिस्ट्रीकृत पता										
	6.	अन्य पते , यदि लागू हों	< टिप्पण निर्दिष्ट करें *>									
विधिक	7.	लेखापरीक्षिती का प्रकार	न्यास <input type="checkbox"/> सोसाइटी <input type="checkbox"/> कम्पनी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>									
	8.	क्या लेखापरीक्षिती किसी लिखत के अधीन गठित है ?	हाँ /नहीं									
प्रबंधन	9.	(क) सभी लेखकों/संस्थापकों/सेटलर/न्यासियों/सोसाइटी के सदस्यों/शासी परिषद के सदस्यों/निदेशक/शेयरधारकों के 5% या अधिक शेयरधारिता का विवरण / पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय लेखापरीक्षिती के पदाधिकारी										
		व्यक्ति का नाम	सम्बन्ध < टिप्पण निर्दिष्ट करें #>	शेयरधारक की दशा	विशिष्ट पहचान संख्या	आई डी कोड < टिप्पण निर्दिष्ट करें ##>	पता	संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान सम्बन्ध में क्या कोई परिवर्तन हुआ है ? हाँ /नहीं	यदि हाँ, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)		
		(ख) [पंक्ति 9(क)में यथा उल्लिखित] किसी व्यक्ति के व्यष्टिक न होने की दशा में , पूर्व वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें, जो इसे व्यक्ति के (5% या अधिक) फायदाग्राही स्वामी हैं										
		क्र. सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आई डी कोड < टिप्पण निर्दिष्ट करें ##>	पता	[पंक्ति 9(क)में यथा उल्लिखित] कोई गैर व्यष्टिक व्यक्ति,जिसमें फायदाग्राही स्वामित्व धारित है	फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत	संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान क्या कोई परिवर्तन हुआ है हाँ /नहीं	यदि हाँ, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
गतिविधियों की शुरुआत	10.	(i)	जहां लेखापरीक्षिती को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है, क्या क्रियाकलाप पूर्व वर्ष के दौरान आरम्भ हुए हैं							हाँ /नहीं		
		(ii)	यदि 10 (i) में हाँ है तो , क्रियाकलापों के आरम्भ होने की तारीख							d d m m y y y y		
		(iii)	यदि 10(i) का उत्तर हाँ है, तो क्या धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के [उप-खंड (iii)] के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयोजन या धारा 10 के खंड (23ग) पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन अनुमोदन फाइल किया गया है?							हाँ /नहीं		
		(iv)	यदि 10(iii) में हाँ है तो , रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए उपयोजन की तारीख							d d m m y y y y		
स्थान के व्यौरे जहाँ लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं	11.	(i)	क्या लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेजों को लेखापरीक्षिती द्वारा नियम 17कक के अधीन यथा विहित प्ररूप और रीति में और ऐसे स्थान पर रखा और बनाए रखा गया है?							हाँ /नहीं		
		(ii)	यदि उपरोक्त (i) हाँ है , तो क्या लेखा बहियाँ का रखरखाव रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किया जाता है?							हाँ /नहीं		
		(iii)	यदि ऊपर (ii) में नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जहाँ लेखा बहियाँ रखी जाती हैं									
		(क)	ऐसे स्थान का पता जहाँ बहियाँ रखी जाती हैं									
		(ख)	प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर खाता रखने के निर्णय की तारीख							dd/mm/yyyy		
	(ग)	नियम 17कक के उप-नियम (3) के परंतुक के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी को सूचना देने की तारीख कि खाते ऐसे स्थान पर रखे गए हैं							dd/mm/yyyy			

स्वैच्छिक अभिदाय	12.	क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 10खघ दाखिल किया है <यदि नहीं तो क्रमांक 14 पर जाएं>			हाँ/नहीं	
	13.	पूर्व वर्ष के लिए लेखापरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10 खघ में प्रस्तुत दान का कुल योग			(रकम रुपए में)	
	14.	दान प्ररूप संख्या 10 खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है/ प्ररूप संख्या 10 खघ भरने की आवश्यकता नहीं है			रकम रुपए में	
	15.	पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [13+14]			रकम रुपए में	
	16.	15 में बताया गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय			रकम रुपए में	
	17.	समग्र निधि का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल है)			रकम रुपए में	
	18.	बेनामी दान धारा 115खघग के अधीन 30% की दर से कराधेय है			रकम रुपए में	
	19.	भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है			रकम रुपए में	
	20.	पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)]			रकम रुपए में	
	स्वैच्छिक अभिदाय	21.	धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय			रकम रुपए में
22.		पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजन के लिए अपेक्षित आय [20+21]			रकम रुपए में	
आय का उपयोजन	23.	आय का उपयोजन (क्रम संख्या 27 के अधीन अपात्र और रिपोर्ट किया गया उपयोजन को छोड़कर)				
	(i)	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित कुल रकम			रकम रुपए में	
	(ii)	रकम जो वास्तव में पूर्व वर्ष के दौरान संदाय नहीं की गई थी [यदि (i) में शामिल है]			रकम रुपए में	
	(iii)	पूर्व वर्ष के दौरान वास्तव में संदाय की गई रकम जो किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित हुई थी लेकिन पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में दावा नहीं की गई थी			रकम रुपए में	
	(iv)	उपयोजन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम [23(i)- 23(ii) +23(iii)]			रकम रुपए में	
	(v)	समग्र निधि में निवेश की गई या वापस जमा की गई रकम जिसे किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था			रकम रुपए में <>	
	(vi)	पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुनःसंदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था			रकम रुपए में	
	उपयोजन से अननुज्ञात की जाने वाली रकम					
	(vii)	धारा 10 के खंड (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (झक) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुज्ञेय रकम				रकम रुपए में < अनुसूची टीडीएस अननुज्ञात भरें >
	(viii)	धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40क की उप-धारा (3) या (3क) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुज्ञेय रकम,				रकम रुपए में < अनुसूची 40क (3)/ अनुसूची 40क(3क) भरें >
	(ix)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23 ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (vi) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को समग्र निधि के लिए दान				रकम रुपए में
	(x)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23 ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (vi) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान जिसके वही उद्देश्य नहीं हैं				रकम रुपए में
	(xi)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23 ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (vi) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान से भिन्न किसी व्यक्ति को दान				रकम रुपए में
	(xii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है				रकम रुपए में
	(xiii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त किया गया है				
	(xiv)	ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया				रकम रुपए में
	(xv)	कोई अन्य अननुज्ञेय				रकम रुपए में
	(xvi)	कुल अनुज्ञेय उपयोजन [(23(iv)+23(v)+23(vi) - {23(vii) से 23(xv)}]				रकम रुपए में
	(xvii)	धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित समझी गई रकम				रकम रुपए में
(xviii)	धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 या धारा 11 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन संचित आय				रकम रुपए में	
(xix)	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों या न्यास या संस्था की कथन की गई वस्तुओं के लिए जमा की गई या अलग रखी गई आय,				रकम रुपए में	

			आय के 15% से अधिक नहीं है				
	24.	कराघेय आय 22- [23(xvi)] से 23(xix)]		रकम रुपए में			
	25.	धारा 115खखख के अधीन कराघेय आय		रकम रुपये में			
	26.	अनाम संदान जो धारा115 खखग के अधीन @30% कर के लिए प्रभार्य है		रकम रुपये में			
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयोग	27.	पूर्व वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से आय का उपयोग			रकम रुपये में		
		(क)	किसी पूर्व वर्ष के दौरान धारा 10 के खंड 23(ग) के तिसरे परंतुक के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन संचित आय	कुल रकम (रु.)			
		(ख)	किसी पूर्व वर्ष के दौरान धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उपयोजित समझी गई आय	कुल रकम (रु.)			
		(ग)	पूर्वतर पूर्व वर्ष की आय 15% तक संचित या अलग रखी गई	कुल रकम (रु.)			
		(घ)	समग्र अंश	कुल रकम (रु.)			
		(ङ.)	उधार ली गई निधि	कुल रकम (रु.)			
	(च)	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	कुल रकम (रु.)				
113 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति	28.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति के ब्यौरे ** धारा 13 की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट					
		धारा 13 की उपधारा (3)में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोड >टिप्पण निर्दिष्ट करें <^^	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति की आधार संख्या ,यदि आबंटित की गई हो	ऐसे व्यक्ति का पता	यदि संतम (1) में कोड 2 चयनित किया गया है तो संपरीक्षिती को किए गए अभिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करें
	29.	धारा 13(2) में निर्दिष्ट आय/संपत्ति के ब्यौरे					
	(क)	क्या संपरीक्षिती की आय या संपत्ति का कोई भाग पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए पर्याप्त प्रतिभूति या पर्याप्त ब्याज या दोनों के बिना किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दिया जाता है या उधार बना रहता है	हां/नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
	(ख)	क्या संपरीक्षिती की कोई भूमि, भवन या कोई अन्य संपत्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए पर्याप्त भाटक या अन्य प्रतिकर प्रभारित किए बिना उपलभ्य की जाती है या बनी रहती है	हां/नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
	(ग)	किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा की गई ऐसे संपरीक्षिती की सेवाओं के लिए वेतन, भत्ते या अन्य रूप में कोई रकम संपरीक्षिती के साधनों में से पूर्ववर्ष से संदत्त की जाती है और इस प्रकार संदत्त रकम उससे अधिक है जो ऐसी सेवाओं के लिए युक्तियुक्त रूप में संदत्त की जा सकती है।	हां/नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
	(घ)	क्या संपरीक्षिती की सेवाएं किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य प्रतिकर के बिना पूर्ववर्ष के दौरान उपलभ्य की जा सकती है	हां/नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
	(ङ.)	किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति पर्याप्त से अधिक प्रतिफल के लिए, संपरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष के दौरान खरीदी जाती है	हां/ नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
	(च)	किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति पर्याप्त से कम प्रतिफल के लिए संपरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष के दौरान बेची जाती है	हां/ नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
	(छ)	क्या संपरीक्षिती की कोई आय या संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में पूर्ववर्ष के दौरान अपयोजित की जाती है	हां/नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में			
(ज)	क्या संपरीक्षिती की कोई तिथि, पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए किसी समुत्थान में विनिहित की जाती है या बनी रहती है जिसमें कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति सारवान हित रखता है	हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में				
30.	क्या संपरीक्षिती ने धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 या धारा 12खख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रकम उपगत की है।	हां/नहीं	रकम रु. में				

	(क)	संपरीक्षिता की आय न्यास या संस्था के उद्देश्यों से भिन्न उपयोजित की गई है	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(ख)	क्या संपरीक्षिता के पास कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है या संपरीक्षिता द्वारा कारोबार के बाबत पृथक लेखा बहियां नहीं रखी गई है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है।	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(ग)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट संपरीक्षिता ने प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है, जो जनता के फायदे सुनिश्चित नहीं करता है	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(घ)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट, संपरीक्षिता ने, किसी विशिष्ट समुदाय या जाति के फायदे के लिए अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(ङ.)	क्या संपरीक्षिता द्वारा किए जा रहे कोई क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(च)	क्या संपरीक्षिता ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और आदेश, निदेश या डिक्री चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाता हो, की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है, यह मानते हुए कि ऐसा अनुपालन हुआ है या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त कर ली है	हां/ नहीं	रकम रु. में
31.		क्या मूल्यहास या अन्यथा का कोई दावा किसी आस्ति के बाबत धारा 10 के खंड (23ग) के स्पष्टीकरण के निबंधनों में किया गया है जिसका अर्जन आय के उपयोजन और ऐसे मूल्यहास की रकम के रूप में दावाकृत किया गया है ?	हां/ नहीं	यदि हाँ तो रकम विनिर्दिष्ट करें
32.		क्या संपरीक्षिता को अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार कर कटौती या संग्रह करना अपेक्षित है	(यदि हाँ तो अनुसूची टीडीएस/टीसीएस यथा लागू पर टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज भरें)	

अनुसूची भरे जो लागू हो अनुदेशों को निर्दिष्ट करें < प्ररूप 10 खख >

अननुज्ञेय टीडीएस अनुसूची: धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक और धारा 11 की उपधारा के अधीन अस्वीकार्य रकमों और अननुज्ञेय रकमों के ब्यौरे

(क) संदाय के ब्यौरे जिस पर कर नहीं काटा गया है

संदाय की तारीख दिदि/मामा/वववव	संदाय की रकम (रु. में)।	संदाय की प्रकृति	प्रासिकर्ता का नाम	प्रासिकर्ता का पैन या आधार यदि उपलब्ध हो	प्रासिकर्ता का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) संदाय के ब्यौरे जिस पर कर काटा गया है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख पर या उससे पहले संदत्त नहीं किया गया है

संदाय की तारीख दिदि/मामा/वववव	संदाय की रकम (रु. में)।	संदाय की प्रकृति	प्रासिकर्ता का नाम	प्रासिकर्ता का पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	प्रासिकर्ता का पता	काटे गए कर की रकम	जमा की गई (7) में से यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुसूची 40क (3क): धारा 40(क) की उपधारा 3 के साथ पठित धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन रकम के ब्यौरे अननुज्ञेय है

क्र.सं.	संदाय की तारीख	संदाय की रकम (रु. में)	संदाय की प्रकृति (रु. में)	प्रासिकर्ता के ब्यौरे		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची 40 (3क): धारा 40क की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अननुज्ञेय रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	संदाय की तारीख	रकम	प्रकृति	प्रासिकर्ता के ब्यौरे		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस

कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या (टीएएन)	धारा	संदाय की प्रकृति	स्बंध (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का संदाय या प्राप्ति की कुल रकम	कुल रकम जिस पर कर (4) में से काटा या संग्रहीत किया जाना अपेक्षित था	कुल रकम जिस पर कर (5) की विनिर्दिष्ट दर पर काटा या संग्रहीत किया गया था	(6) में से काटी गई या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर कर (7) की विनिर्दिष्ट दर पर काटा या संग्रहीत किया गया था	(8) पर काटे गए या संग्रहीत किए गए कर की रकम	(6) और (8) में से काटे गए या संग्रहीत किए गए किंतु केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में जमा नहीं की गई कर की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टीडीएस या टीसीएस का अनुसूची विवरण				
कर कटौती और संग्रह लेखासंख्या (टीएएन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख ,यदि दी गई हो	क्या काटे गए या संग्रहीत किए गए कर के विवरण में सभी संव्यवहारों के बारे में जानकारी है , जिनका रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

टीडीएस/टीसीएस पर अनुसूची ब्याज			
कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या (टीएएन)	धारा 201(1क) या 206ग(7) के अधीन ब्याज की रकम देय है	स्तंभ (2) में से संदाय की गई रकम	रकम के संदाय की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 10 खख के टिप्पण

- अधिनियम की धारा 10 के खंड(23 ग) के उप-खंड (iv), उप-खंड (v), उप-खंड (vi) या उप-खंड (vi) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को इस प्ररूप में "संपरीक्षिती" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- **धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- *क्रम संख्यांक 6 में ,वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चित किया गया है और जिसे नियम 17क के उपनियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर लिखित रूप में क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारीकी अधिकारिता के लिए सूचित किया गया है,
- क्रम संख्यांक 9(क) में, संबंध के लिए, स्तंभ (2) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चयनित किए जाएंगे

क्रम सं.	धारा	कोड
(1)	निर्माता	1
(2)	संप्रवर्तक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	सोसाइटी का सदस्य	5
(6)	शासकीय परिषद् का सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारक 5% या अधिक के शेयरधारी	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

5. ## क्रम संख्यांक 9(क) के स्तंभ 5% में, और क्रम संख्यांक 9(ख)के स्तंभ (4) में विशिष्ट पहचान संख्या के स्थान पर और यदि कोड है, तो निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है ,तो उसे अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए :

पहचान के प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन न ही आधार उपलब्ध है ,निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए :

पहचान के प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति रहता है	3
पासपोर्ट संख्या	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशनकार्ड संख्या	7

6.^^क्रम संख्या 28 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें:

क्र.सं	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास के निर्माता या संस्था के संप्रवर्तक;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति जिसने न्यास या संस्थान में पर्याप्त अभिदाय दिया है, अर्थात् कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक कुल अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	2
(3)	जहां ऐसा निर्माता संप्रवर्तक ;या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है वहां उस कुटुंब का सदस्य;	3
(4)	न्यास का कोई न्यासी या संस्था का प्रबंधक जिस नाम से संबोधित हो;	4
(5)	यथापूर्वोक्त किसी भी ऐसे निर्माता, संप्रवर्तक, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार;	5
(6)	कोई भी समुत्थान जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई सारवान रखता हित रखता है।	6]